

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

—:: नोटिस ::—

1. विभागीय कार्य हेतु 10,000 मुद्रित टिप्पणी पृष्ठ की आवश्यकता है।
2. उक्त मुद्रण 75 GSM पेपर पर किया जाना है, जिसके 01 बुक में 100 पृष्ठ होंगे।
3. उक्त टिप्पणी पृष्ठ का नमूना दिनांक—13.08.2026 तक विभागीय लेखा शाखा से अपराहन 03:00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।
4. आपूर्ति करने वाले एजेंसी के पास Active GST हो।
5. आपूर्ति आदेश मिलने के दो दिनों के अन्दर उक्त टिप्पणी पृष्ठ आपूर्ति करना है।
6. उक्त सूचना को किसी भी समय अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा वापस लिया जा सकता है।
7. उक्त सूचना दिनांक—13.08.2026 को अपराहन 05:00 बजे तक मान्य है।
8. आपूर्तिकर्ता द्वारा कार्यालय के विनिर्दिष्ट स्थान पर उक्त टिप्पणी पृष्ठ की आपूर्ति की जायेगी, जिसके लिए ढुलाई भाड़ा देय नहीं होगा।

नोट :- क्रय पर बिहार खरीद अधिमानता नीति, 2024 प्रभावी होगा।

विश्वासभाजन

ह0 /—

(संजय कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:—अ0सं0क0—02—04 / लेखा—06 / 2018 (खण्ड—II).....3176...../ पटना, दिनांक...10/08/26

प्रतिलिपि:—आई. टी. प्रबन्धक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—आगत—निर्गत कोषांग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय सूचना पट्ट पर चिपकाने हेतु प्रेषित।

संजय— 10.08.26

सरकार के संयुक्त सचिव